

छत्तीसगढ़ शासन  
श्रम विभाग  
मंत्रालय, महानदी भवन  
नवा रायपुर, अटल नगर

// अधिसूचना //

नवा रायपुर, दिनांक...16/12/2022  
क्रमांक 4055 / 1584 / 2022 / 16 :- असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 की धारा 3 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य शासन एतद् द्वारा छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल की अधिसूचना क्र0 एफ 10-8/2018/16, दिनांक 28.04.2018 में असंगठित कर्मकार प्रसूति सहायता योजना की कण्डिका (ब) में निम्नानुसार संशोधन अंतःस्थापित करती है -  
(ब) योजना हेतु पात्रता -

योजना का लाभ लेने हेतु महिला असंगठित कर्मकार का मंडल में पंजीयन वच्चे के जन्म के 90 दिवस पूर्व होना अनिवार्य है।

उपरोक्त संशोधन अधिसूचना दिनांक से प्रभावशील होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से,  
तथा आदेशानुसार

16.12.2022  
(राकेश साहू)  
अवर सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग  
नवा रायपुर, दिनांक...16/12/2022

पृ0 क्र0 4056 / 1584 / 2022 / 16  
प्रतिलिपि :-

1. विशेष सहायक, माननीय श्रम मंत्री जी, छ.ग. शासन एवं पदेन अध्यक्ष, छ.ग. असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल, नवा रायपुर अटल नगर
2. सचिव, छ.ग. शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)।
3. श्रमायुक्त, कार्यालय, श्रमायुक्त इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)।
4. नोडल अधिकारी, छ.ग. असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)।
5. कलेक्टर, जिला - ..... (छ.ग.)।
6. सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी, जिला-..... (छ.ग.)।
7. उपसंचालक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव की ओर प्रेषित कर लेख है कि कृपया उक्त अधिसूचना आगामी राजपत्र में प्रकाशन उपरांत इसकी 100 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

16.12.2022  
अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग